हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08 07/22	आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील के उपस्थित होने/आवश्यकता में बार-बार आवाज लगाने के बावजूद सांय 5:00 बजे तक वादी एवं वादी वकील में से कोई उपस्थित नहीं हुआ। [illegible] अर्जी एवं पैरवी में खारिज हो चुका है। मूलवाद का निस्तारण होने से प्रा०पत्र 212 RJ Act का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रा०पत्र 212 RJ Act की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे। लेकिन मूलवाद हो।